

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018

Dated Shimla-171002, the 31-08-2018

Order

**Sub :-** Diversion of 1.7118 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhatgram Moud to Kharihar (Kms. 0/0 to 3/340), within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/06/97/2016/906 dated 01-08-18 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.7118 ha हैक्टेयर वन भूमि को HPPWD, को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रतिपूर्ति पौधरोपण प्रस्ताव के अनुसार DPF, Survey No. 52/H/4/SW, Compartment No. 2/42 C-IV of village Bhatgram, Kharihar, Tehsil & Distt. Kullu में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 3.00 है० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 सड़क निर्माण के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा केन्द्रीय कगार पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप plantation की जायेगी।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान / पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 234 trees & 19 saplings से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

Contd./2



- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।
- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 Dated, Shimla-171001 the 31-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Kullu, Himachal Pradesh
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, HPPWD Kullu Distt. Kullu HP.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 31-8-2018  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

SCFEA)

9/9

APCCF(FCA)

पं.सु.अ.पा. हि.प्र.

भावती सं. 113

दिनांक 4/9/2018



**हिमाचल प्रदेश सरकार**  
**वन विभाग**

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018

Dated Shimla-171002, the 31-08-2018

**Order**

**Sub :-** Diversion of 0.7966 ha of forest land for the construction of Gumma Stage-III Small Hydro Electric Project (1MW) in favour of M/s P.R.Jhingta, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HPB/01/77/2016/816 dated 19-07-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.7966 ha** हैक्टेयर वन भूमि को, **M/s P.R.Jhingta** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3.2 (viii)(b) के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुसार 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 3 Nodal Officer-cum-APCCF(FCA) vide letter No. Ft.48-3314/2016(FCA) dated 16-08-2018 has informed that stipulation No. 3 imposed by MoEF&CC,GoI vide letter No. 8B/HPB/01/77/2016/816 dated 19-07-18 has been complied by them vide their letter No. Ft.48-3314/2016(FCA) dated 31-07-2018.
- 4 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 6 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 7 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 8 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा।
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 10 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 09 trees से अधिक न हो।
- 11 The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act,1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection)Act, 1986.
- 12 The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.

Contd./2



- 13 The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.
- 14 State Forest Department shall ensure that the User Agency shall comply the provisions of the all Rules Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
- 15 The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc.
- 16 The User Agency shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.
- 17 The User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the aproval to the State Forest Department and the concerned Regional Office of the MoEF&CC, GoI.
- 18 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Shimla, H.P.
- 19 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।  
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018

Dated, Shimla-171001 the 31-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
- 3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
- 4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
- 5 The Deputy Commissioner, Distt., Shimla, Himachal Pradesh
- 6 DFO Rohru Forest Division, Distt., Shimla H.P.
- 7 M/s P.R. Jhingta,
- 8 Guard File.

SCFCA)  
प्र.सं.सं.प. हि.प्र.  
पावती सं. 2112  
दिनांक 4/8/2018  
APCCF(FCA)

(Sat Pal Dhiman) 31-8-2018  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.



3325

**हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग**

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018

Dated Shimla-171002, the 21-08-2018

**Order**

**Sub :- Diversion of 0.4089 ha of forest land for construction of Shelter for Urban Homeless Mandi at Kangni, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/65/2017/905 dated 01-08-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.4089 ha** हैक्टेयर वन भूमि को, **Shelter for Urban Homeless Mandi at Kangni** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3.2 (viii)(b) के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुसार 410 वृक्षों का वृक्षारोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा
- 9 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 41 वृक्षों से अधिक न हो।
- 10 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 11 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 12 A lease- deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Mandi, H.P.

Contd./2



- 12 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 13 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।  
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 (FCA) Dated, Shimla-171001 the 31-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. Executive Officer, Municipal Council Mandi, Himachal Pradesh.
8. Guard File.

प्र.सं.अ.पा. हि.प्र.  
पावती सं. 2111  
S(FCA) दिनांक 4/9/2018  
7/19  
APCCF(FCA)

(Sat Pal Dhiman) 31-8-2018  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.



3456

## हिमाचल प्रदेश सरकार वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2018

Dated Shimla-171002, the 31-08-2018

### Order

**Sub :-** Diversion of 0.4208 ha of Forest land in favour of I & PH for construction of Lift Water Supply Scheme Marthu, Janed & Natned (Randhara) in Tehsil Sadar, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **8B/HP/09/97/2017/937 dated 03-08-18** के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.4208 ha** हैक्टेयर वन भूमि को, **I & PH** को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान करते हैं:-

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- 2 प्रयोक्ता ऐजेंसी से प्राप्त धनराशि से वन विभाग द्वारा guideline para 3.2 (viii)(b) के अंतर्गत प्रस्ताव के अनुसार 240 वृक्षों का वृक्षारोपण एवम् 7-10 वर्षों तक रख-रखाव किया जाएगा।
- 3 एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
- 4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों /स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- 5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैंरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 6 परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
- 7 निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का plantation किया जायेगा।
- 8 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- 9 भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Layout Plan नहीं बदला जाएगा।
- 10 कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक न हो।
- 11 प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillar लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
- 12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी / प्राधिकरण से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
- 13 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

Contd./2



- 14 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 15 ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।  
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर, मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला -2

Endst. No FFE-B-F(2)-3/2018 (FCA) Dated, Shimla-171001 the 21-08-2018

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Principal Chief Conservator of Forests, Regional Office (North Central Zone), Govt. of India, Ministry of Environment Forests & Climate Change, 25- Subhash Road Dehradun-248001.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for information.
5. The Deputy Commissioner, Distt., Mandi, Himachal Pradesh
6. DFO Mandi Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. Ex-Engineer/ Asstt. Engineer, I & PH Mandi Distt. Mandi HP
8. Guard File.

प्र.मु.अ.पा. हि.प्र.  
पावती सं. 2110  
दिनांक 21/8/2018

S(FCA)

9/19

APCCF(FCA)

(Sat Pal Dhiman) 31-8-2018  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.